


12-4-22

वादी मय वकील अनुपास्थित। प्रतिवादी-
गण अनुपास्थित। वादी एवं वकील वादी
को बार-बार आवाज दी गई, बावजूद
इसके वादी मय ^{वकील} अनुपास्थित अतः वाद
वादी विरुद्ध प्रतिवादी गण अन्तर्गत धारा
53, 92A, 188 RTA अदम हाजरी, अदम
पैशवी में श्वारीज किया जाता है, पत्राक्षी
फैसल शूमार बीकर नम्बर से कम है,
बाद तकमील जाता दाखिल दफ्तर है।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) राजनी